

पाँच रुपये

FIVE RUPEES


पाँच रुपये

FIVE RUPEES

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट
कोर्ट रीवा (म०प्र०)

P/301

135



15136-III/17

रामविश्वास तनय स्व० वंशगोपाल निवासी ग्राम बहुरीबांध
तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

आवेदक

बनाम

- 1- सिद्धमुनि प्रसाद मिश्रा (एस०पी० मिश्रा) तनय लोकनाथ
मिश्रा निवासी ग्राम बेला, तहसील मनगवां, जिला रीवा
म०प्र०

- 2- शासन म०प्र०

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश
राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइया
तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०
द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/12
-13 में जारी आदेश दिनांक
19-05-2013 जिसके तहत
अनावेदक द्वारा दिये गये सीमांकन
आवेदन पत्र में किये गये
सीमांकन कार्यवाही दिनांक
13-05-13 की पुष्टि की गई
है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है-

- 1- यह कि अधीनस्थ प्राधिकारी राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 5136-दो/17

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-6-17	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सासन जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 29-5-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। आपत्ति प्राप्त न होने पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन की पुष्टि की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदकगण चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस0एस0 अली) सदस्य</p>	